

10.07.2024:-पत्रावली पेशी में ली आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रार्थी पक्ष से चाही कई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रकरण 2017 से लंबित है लगातार तलबी प्रार्थी अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

*Wijje*

